



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266711
CG-DL-E-06102025-266711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4406]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 2025/आश्विन 14, 1947

No. 4406]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2025/ASVINA 14, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

का.आ. 4534(अ).— जबकि मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड (पूर्व में अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड), जिसका पंजीकृत अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, नियर वैष्णो देवी सर्कल, एस. जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद - 382421, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “अंतरिम व्यवस्था के रूप में आईएसटीएस में गोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/103/2024-PG दिनांकित 29.11.2024 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “अंतरिम व्यवस्था के रूप में आईएसटीएस में गोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड (पूर्व में अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड) ने स्थानीय समाचार पत्रों द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया (अंग्रेजी में) दिनांक 11.12.2024, प्रभात खबर (हिंदी में) दिनांक 11.12.2024, संताल एक्सप्रेस (हिंदी में)

दिनांक 11.12.2024, और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 11.01.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड (पूर्व में अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड) ने 05.08.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “अंतरिम व्यवस्था के रूप में आईएसटीएस में गोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी” के तहत ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

1. गोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कहलगांव ए-मैथन बी 400 केवी लाइन का एलआईएलओ

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन झारखंड के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील	जिला	राज्य
1	मोतिया, गंगटा, नयाबाद, कारीकादो, कौरी-बहियार माल, पैरडीह, कौरी-बहियारघाट, तबलपुर, सिकटिया, लछनपुर, सुसुनिया, लोबंथा, रामपुर, डुमरिया, मालडीह, सिमरिया, झरकटा, पटवा, मालीपालगजिया, अमलो, कुसमारा, बैजनाथपुर, दुसाधि कोला, गंगटा- फासिया	गोड्डा	गोड्डा	झारखंड
2	बहराजोर, मानिकपुर, दाहुपघार, लीलादह, जलगो, बोहरा, बिरनियां, पेटबी, देबंथा, बसंतपुर, माली, सरवां, रतनपुर, दिनदयालपुर, जगरनाथपुर, कोरासी, राणाबांध, अमरा-कनौली, अमरा-कामत, छितनीपूर्णिया, बक्सरा, बलियाकिता, गायघाट, रंगनिया, जैजलपुर, सोनडीहा, गुम्मा, मसानीबेलडीहा, आनंदडीह, अमरा मोर्चा कामत, मुचौरा, परासी	पोड़ैयाहाट	गोड्डा	झारखंड

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड (पूर्व में अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड) को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।

- vi. मैसर्स अदानी पावर लिमिटेड (पूर्व में अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड) को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है तो आवेदक को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) मामले के संबंध में 2019 की याचिका संख्या 838 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी/विशेषज्ञ समिति के निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/58/2025-पीजी]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 29th September, 2025

S.O. 4534(E).— Whereas M/s Adani Power Limited (Formerly known as Adani Power (Jharkhand) Limited) having its registered address at Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Connectivity to Godda Thermal Power Project at ISTS as an interim arrangement”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/103/2024-PG dated 29.11.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity to Godda Thermal Power Project at ISTS as an interim arrangement”.

M/s Adani Power Limited (Formerly known as Adani Power (Jharkhand) Limited) had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 11.12.2024, Prabhat Khabar (in Hindi) dated 11.12.2024, Santal Express (in Hindi) dated 11.12.2024, and in Weekly Gazette of India dated 11.01.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Adani Power Limited (Formerly known as Adani Power (Jharkhand) Limited) has submitted an affidavit dated 05.08.2025 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication in the official gazette of Government of India and newspaper publications.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity to Godda Thermal Power Project at ISTS as an interim arrangement”. The following overhead line is covered under this scheme:

1. LILO of Kahalgaon A – Maithon B 400 kV line at Godda Thermal Power Project.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of **Jharkhand**:

S No.	Name of Villages	Tehsil	District	State
1.	Motia, Gangta, Nayabad, Karikado, Kauribahiyar Mal, Pairdih, Kauribahiyarghat, Tabalpur, Sikatia, Lachhanpur, Susunia, Lohbandha, Rampur, Dumariya, Maldiha, Simariya, Jharkata, Patwa, Malipalgajia, Amla, Kusmara, Bajinathpur, Dusadhi Kola, Ganta Phasiya	Godda	Godda	Jharkhand

2.	Behraja, Manikpur, Dahupadhar, Liladah, Jalgo, Bohra, Birniyan, Petbi, Debandha, Basantpur, Mali, Sarwan, Ratanpur, Dindayalpur, Jagarnathpur, Korasi, Ranabandh, Amra Kanauli, Amra Kamat, Chhitnipurniya, Baksara, Baliya Kita, Gaeghat, Rengniya, Jaijalpur, Sondiha, Guma, Masanibeldih, Aandadih, Amra Morcha Kamat, Muchora, Parasi	Poreyahat	Godda	Jharkhand
----	---	-----------	-------	-----------

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Adani Power Limited (Formerly known as Adani Power (Jharkhand) Limited) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Adani Power Limited (Formerly known as Adani Power (Jharkhand) Limited) shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the orders of the Hon'ble Supreme Court in the petition No.838 of 2019 regarding Great Indian Bustard (GIB) case, and the directions of the technical/expert committee constituted by the Hon'ble Supreme Court in this regard.

[F. No. 25-16/58/2025-PG]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)